रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082025-265517
CG-DL-E-19082025-265517

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3692] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 19, 2025/श्रावण 28, 1947
No. 3692] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 19, 2025/SHRAVANA 28, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2025

का.आ. 3796(अ).— केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग' (पैन: AAAGT0048J) तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित निकाय, को एतद्द्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए उस आयोग द्वारा उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है अर्थातः-

(क) सरकारी अनुदान के रूप में प्राप्त राशि;

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के साथ पठित धारा 86 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अंतर्गत लगाए गए शुल्क;

(ग) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 146 के तहत लगाया गया जुर्माना;

(घ) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि तमिलनाडु विद्युत नियामक आयोग-

(क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;

(ख) गतिविधियाँ और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तित रहेगी; तथा

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आयकर विवरणी दाखिल करेगा ।

3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2023-2024 से संगत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए लागू मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 134/2025/फा. सं. 196/86/2024-आईटीए-I]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2025

S.O. 3796(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Tamil Nadu Electricity Regulatory Commission' (PAN AAAGT0048J), a body constituted by the Government of Tamil Nadu, in respect of the following specified income arising to that Commission, namely:-

(a) Amount received in the form of Government Grants;

(b) Fees levied under clause (g) of sub-section (1) of Section 86 read with Section 181 of the Electricity Act, 2003;

(c) Penalties levied u/s 146 of the Electricity Act, 2003;

(d) Interest earned on bank deposits.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that 'Tamil Nadu Electricity Regulatory Commission'-

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and

(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for the financial year 2022-2023 relevant to assessment year 2023-2024.

[Notification No. 134/2025/F. No. 196/86/2024-ITA-I]

MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA